रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Secretariat Library ... 96/4/99 ... of India

सं. 829] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 1998/पौष 2, 1920
No. 829] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 1998/PAUSA 2, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1998

का. आ. 1098 (अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए क्या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन. एस. सी. एन.) और इसके सभी गुटों, विंगों और अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के. रामामूर्ति की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 7/12/98-एन.ई.-I]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 1998

S. O. 1098 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice K. Ramamoorthy, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) including all its factions, wings and front organisations, as unlawful association.

[F. No. 7/12/98-NE-I]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

3455 GI/98

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.